बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। अधिसूचना ।।

सं०सं०–16 / विविध–03–09 / 2025 3763 न०वि०एवं आ०वि०, दिनांक– 03/11/25

श्री मनीष कुमार, बि0न0से0, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल के विरूद्ध श्री महेश्वर सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद् द्वारा नगर परिषद्, रक्सौल में नाला निर्माण एवं सफाई से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या–01 / 208 / 72, दिनांक–27.11.2024 को बिहार विधान मंडल में पूछे जाने वाला था। उक्त प्रश्न का उत्तर सामाग्री ससमय उपलब्ध कराया गया, जबकि अनुपूरक सामाग्री उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण विभाग को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। श्री कुमार का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 (1) (i), (ii) एवं (iii) के आलोक में लोक सेवक के प्रतिकूल होने, सरकारी कार्यों में रूची नहीं लेने, मनमानेपन तथा विभागीय पदाधिकारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार करने का परिचायक है।

2. श्री मनीष कुमार, बि0न0से0, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल के इस आचरण के लिए उनके विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित किया गया, जिसका मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

(i) श्री महेश्वर सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद द्वारा बिहार विधान परिषद के 208वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–01 / 208 / 72 का उत्तर सामाग्री श्री कुमार द्वारा दिनांक–26.11.2024 को उपलब्ध कराया गया था, किन्तु अनुपूरक सामाग्री उपलब्ध नहीं कराने के कारण संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक–26.11.2024 को अनुपूरक सामाग्री उपलब्ध कराने हेतु श्री कुमार से अनुरोध किया गया। अनुपूरक सामाग्री अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा पुनः श्री कुमार से दूरभाष पर वार्ता किया गया एवं अनुपूरक सामाग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, परन्तु श्री कुमार द्वारा चुनाव ड्यूटी की बात कहते हुए उनके साथ अशिष्टता से वार्ता की गई।

(ii) दिनांक–27.11.2024 को उक्त प्रश्न की समीक्षा माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के समक्ष होने के क्रम में पूर्वाह्न 9:40 बजे पुनः श्री कुमार से वार्ता कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, परन्तु उनके द्वारा ससमय अनुपूरक सामाग्री उपलब्ध नहीं कराया गया। अनुपूरक उत्तर सामाग्री ससमय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

(iii) सत्रावधि में सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे तत्परतापूर्वक सभी प्रश्नों का जवाब ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें तथा विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। किन्तु श्री कुमार द्वारा संबंधित विभागीय पदाधिकारी से दूरभाष पर अशिष्ट व्यवहार किया गया तथा वांछित अनुपूरक सामाग्री भी उपलब्ध नहीं करायी गई, जिसके कारण असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।

(iv) श्री कुमार द्वारा अनुपूरक सामाग्री तैयार करने में कोई रूचि नहीं ली गयी अन्यथा वे दिनांक–26.11.2024 को ही प्रतिवेदन तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा सकते थे, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। श्री कुमार का उक्त प्रकरण सरकारी कार्यों में रूचि नहीं लेने, मनमानेपन करने तथा विभागीय पदाधिकारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार करने का परिचायक है।

3. उक्त प्रकरण के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में क्रमशः विभागीय पत्रांक–1741 दिनांक–13.02.2025, 1045 दिनांक–18.03.2025 एवं 1368 दिनांक–09.04.2025 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–21.04.2025 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित अभिकथन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री मनीष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल के विरूद्ध श्री महेश्वर सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद् द्वारा नगर परिषद्, रक्सौल में नाला निर्माण एवं सफाई से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या–01/208/72 जो दिनांक–27.11.2024 को बिहार विधान मंडल में पूछे जाने वाले से संबंधित अनुपूरक सामग्री उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण विभाग को तथा विभागीय पदाधिकारियों को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, संबंधी प्रतिवेदित आरोप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 (1) (i), (ii) एवं (iii) के आलोक में लोक सेवक के आचरण के प्रतिकूल होने, सरकारी कार्यों में रूची नहीं लेने, मनमानेपन करने तथा विभागीय पदाधिकारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

5. वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री कुमार के लिखित अभिकथन दिनांक–21.04.2025 को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत प्रमाणित आरोपों के लिए **निदंन** का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

6. अतः उक्त वर्णित परिपेक्ष्य में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र एवं समर्पित बचाव अभिकथन की समीक्षोपरांत श्री कुमार के बचाव अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए **निदंन (वर्ष 2024–25)** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(राजीव रंजन तिवारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–16/विविध–03–09/2025 3763 न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक–03/11/25

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/श्री मनीष कुमार, बि0न0से0, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी/सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव (स्थापना), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/11/2025

सरकार के अवर सचिव।